MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

कार्य का नाम– जोन 05 अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में ट्रैक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य। (वर्ष 2025–2026)

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	Quantity	Unit
1	जोन 05 अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में ट्रैक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य।		
	01 अप्रेल से 30 अप्रेल	270.00	
	01 मई से 30 जून	549.00	
		819.00	per trip

सहायक अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

उप अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

ट्रेक्टर टेंकर से जल प्रदाय कार्य हेतु आवश्यक नियम शर्ते :–

1. ट्रेक्टर टेंकर की न्यूनतम **क्षमता 4500** लीटर होना अनिवार्य है।
2. ट्रेक्टर टेंकर हेतु प्रस्तुत दरें चालक, इंधन एवं संधारण व्यय सहित होगी। इसके लिये पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा एवं लॉग बुक संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. ट्रेक्टर टेंकर से प्रतिदिन **नौ फेरे कुल 40,500 लीटर** पेयजल प्रदाय अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार प्रतिदिवस की ट्रिप में कमी या बढोत्तरी की जा सकती है।
4. ट्रेक्टर टेंकर की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी तथा आवश्यकता/ मांग के अनुरूप 12 घंटे के अंदर ट्रेक्टर टेंकर उपलब्ध कराना होगा। समय–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कराने पर कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा।
5. ट्रेक्टर टेंकर न लगाये जाने की स्थिति में **प्रति दिवस 8,000.00 रू.** का दण्ड अधिरोपित किया जावेगा
6. निगम के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक ट्रेक्टर टेंकर पूर्ण तथा हिस्सों में आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक स्थानों पर निर्धारित समय पर उपलबध कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. निविदा दाता द्वारा लगाये गये ट्रेक्टर टेंकरो पर **पंजीयन नंबर "नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्रमांक 05 में पेयजल परिवहन हेतु आरक्षित" ट्रेक्टर क्रमांक– एवं ड्राईवर/ एजेन्सी का मोबाईल नम्बर** लिखा होना आवश्यक है।
8. ट्रेक्टर टेंकर के द्वारा जल प्रदाय कार्य में संलग्न ड्रायवर/कर्मचारी के द्वारा शासकीय, गैर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुचाए जाने अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
9. किसी भी प्रकार के शासकीय, गैर शासकीय निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने पर अथवा दुर्घटना होने पर समस्त क्षतिपूर्ति/थाना/न्यायालय की कार्यवाही हेतु निविदा दाता एजेंसी बाध्य होगी।
10. न्यूनतम दर दाता एजेंसी को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वाहन का पंजीयन चालक का ड्राईविंग लाइसेंस, आर.सी बूक, इंश्योरेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
11. टैंकर लिकेज सहित एवं पेंटिंग किया हुआ होना अनिवार्य है।
12. अनुबंधित ट्रेक्टर टेंकर से निगम क्षेत्र या बाहर पेयजल विक्रय संबंधी शिकायत या जांच में पाए जाने पर निविदा निरस्त की कार्यवाही की जावेगी या रू. 10,000.00 प्रति टैंकर जुर्माना अथवा दोनो की जावेगी।
13. परिवहन विभाग के नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। उल्लघंन की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
14. यह निविदा संपूर्ण**1-**वर्ष हेतु आमंत्रित की जा रही है। ग्रीष्म काल के उपरांत भी आकस्मिक आवश्यकता में एजेंसी को वांछित संख्या में ट्रेक्टर टेंकर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

कार्यपालन अभियंता
जोन 05 सेक्टर 06
नगर पालिक निगम भिलाई

जोन आयुक्त
जोन 05 सेक्टर 06
नगर पालिक निगम भिलाई

Scanned with CamScanner